संख्या-03/2020/135/29-7-2020-एम-143/2006 टी0सी0

प्रेषक,

ओम प्रकाश वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- आयुक्त,
खाद्य एवं रसद विभाग,
जवाहर भवन, लखनऊ।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः 14 फरवरी, 2020

विषयः-भारत सरकार से प्राप्त सब्सिडाइज्ड मिट्टी तेल का प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटन बन्द किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में ध्यानाकृष्ट करते हुए यह अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-474/29-7-2019-एम-143/2006 टी0सी0, दिनांक 01.08.2019 के द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि एल0पी0जी0 कनेक्शनधारक व विद्युत उपभोग करने वाले, दोनों सुविधाओं से युक्त राशन कार्डधारकों को मिट्टी तेल की आपूर्ति बन्द किया जाये।

उपरोक्त के क्रम में आयुक्त, खाद्य एवं रसद द्वारा अपने पत्र संख्या-881/आ0पू0रा0-मि0 तेल(मिस)-128/2011, दिनांक 05.02.2020 के माध्यम से समस्त जिलाधिकारीगण, उ0प्र0 द्वारा प्रेषित आख्या के क्रम में अवगत कराया गया कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के राशनकार्डधारकों के पास व्यापक रूप से एल0पी0जी0 तथा विद्युत कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध है, जिसके कारण नगरीय क्षेत्र के राशनकार्ड धारकों को मिट्टी तेल की आवश्यकता नगण्य है।

2- भारत सरकार के निर्देशानुसार प्राप्त मिट्टी तेल का उपयोग मात्र भोजन पकाने तथा प्रकाश हेतु किया जाना होता है। भारत सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत प्रदेश के गरीब परिवारों को निःशुल्क एल0पी0जी0 कनेक्शन की सुविधा बड़े पैमाने पर प्रदान की गयी है, साथ ही प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विद्युतीकरण भी व्यापक रूप से हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में मिट्टी तेल की आवश्यकता नहीं रह गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित स्थितियों में सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में मिट्टी तेल का आवंटन बन्द किये जाने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,
ओम प्रकाश वर्मा
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उ0प्र0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
अशोक कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।